शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण
संख्या–2220 / 9.1.2013.45सा / 10

प्रेषक,

यशवन्त राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2013

विषयः नगरीय स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2140 / 9.1.2013.45सा / 2010, दिनांक–11.4.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को 10 दिन में अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:–

(1) आरक्षण विषयक अधिनियम एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश के अनुपालन में नगर पंचायत के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु रोस्टर लागू किया गया है अथवा नहीं? यदि रोस्टर लागू नहीं किया गया है तो तत्काल लागू किया जाय।

(2) उक्त अवधि में सीधी भर्ती के पदों के अंकन हेतु रोस्टर पंजिका बनी है अथवा नहीं? यदि नहीं तो रोस्टर पंजिका बनाकर अद्यावधिक की जाय।

(3) नगर पंचायत के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों पर आरक्षण विषयक प्राविधान को सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अधिनियम के अनुसार एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा यथापेक्षित कृत कार्यवाही की आख्या अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कृपया वांछित आख्या शासन को लौटती डाक से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(यशवन्त राव)
विशेष सचिव।

संख्या– (1) / 9–1–13 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक स्थानीय निकाय को इस आशय से प्रेषित की मा0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समिति उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(यशवन्त राव)
विशेषा सचिव।